

न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा।

आदेश सं० /11.5.17

प्रशासनिक आदेश

आपराधिक कार्य हेतु न्यायालयों के न्यायिक कार्य को सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा रिमाण्ड कार्य सम्पादित किया जायेगा :-

- 1.माह जून दि० 01.06.2017 से दि० 30.06.2017 तक
श्री संजय कुमार
द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदा।
- 2.माह जुलाई दि० 01.07.2017 से दि० 31.07.2017 तक
हिमाशुं कुमार सिंह,
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदा।
- 3.माह अगस्त दि० 01.08.2017 से दि० 31.08.2017 तक
डा० सुरेश कुमार,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
त्वरित न्यायालय, बांदा।
- 4.माह सितम्बर दि० 01.09.2017 से दि० 30.09.2017 तक
सुश्री रूचि तिवारी,
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदा।

सर्व संबंधित सूचित हों।

(राजेश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बांदा। 11/05/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1.माननीय जनपद न्यायाधीश,बांदा। 11/5/17
- 2.प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा। 11/5/17
- 3.द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा। 12/5/17
- 4.अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,त्वरित न्यायालय, बांदा। 12/5/17
- 5.सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा। 8/5/17
- 6.वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी,बांदा। 12/05/17
- 7.सचिव, अधिवक्ता संघ, बांदा। 12/05/17

दिनांक 11.5.17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बांदा। 11/05/17